।। कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर ।।

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/विविध/2022/1315 दिनांक : 08.08.2022

-:: आदेश ::-

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

चूंकी मुझे अवगत कराया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एवं आगामी त्योहारों मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रामदेव जंयती, अनन्त चतुर्दशी, नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, विजय दशमी इत्यादी एवं विश्वविद्यालय व विभिन्न महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के दौरान जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव दुषित करने की चेष्टा की जा सकती है जिससे जन साधारण की सुरक्षा एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं सन्तुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया आयुक्तालय जोधपुर के क्षेत्राधिकार में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मैं विनीत कुमार बंसल, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय एवं यातायात, आयुक्तालय जोधपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि :-

1. आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में सार्वजनिक मार्गों एवं स्थलों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के समस्त प्रकार की रैली, जुलूस, प्रदर्शन, सभा एवं शोभायात्रा इत्यादि के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबन्ध केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित उपरोक्त श्रेणी के आयोजनों पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त विवाह समारोह, बारात एवं शवयात्रा पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
2. आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्र, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण नहीं करेगा, न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रर्दशन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण सम्बन्धी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र बल, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं अन्य राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कि कानून एवं शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में अपने साथ हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा।
3. कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोट पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी पात्र में लेकर विचरण नहीं करेगा।
4. कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले भाषण/नारे नहीं लगायेगा एवं ना ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जावेंगे।
5. कोई भी व्यक्ति किसी तरह के आपतिजनक, भद्दे, अश्लील भाषण/नारे/गीत/इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे सद्भावना, सामाजिक समरसता की भावना को ठेस पहुँचे।

विज्ञप्ति 8/8/2022

0291-2650900 ☎, 2650903, cp-jodhpur-rj@nic.in, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर- 342001

6. आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में डीजे (स्वचालित वाहन पर अधिरोपित इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि प्रसारण यंत्र) का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
7. कोई भी व्यक्ति इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा Facebook, Twitter, Whats App, Instagram, Youtube इत्यादि के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं जातीय विद्वेष या उन्माद को बढ़ावा देने वाली सामग्री का प्रकटन, प्रयोग या प्रसार नहीं करेगा।

चूंकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में है एवं किसी व्यक्ति विशेष को सूचना या आदेश तामिल कराना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

इस आदेश की जानकारी को आम जनता में समाचार पत्रों, रेडियो, टी.वी. के द्वारा देने की व्यवस्था जिला सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर करेंगे एवं इस आदेश की प्रतियां प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराने की व्यवस्था करायेंगे।

यह आदेश दिनांक 09.08.2022 से लागु होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर द्वारा जारी किया जाता है।

विनीत 8/8/2022

OFFICE OF THE DCP HEADQUARTER AND TRAFFIC JODHPUR

(विनीत कुमार बंसल)
पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur

प्रतिलिपिः निम्न को सादर सूचनार्थ –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
4. जिला कलक्टर, जोधपुर।
5. पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/अपराध, आयुक्तालय जोधपुर।
6. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, आयुक्तालय जोधपुर।
7. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
8. समस्त थानाधिकारी, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
9. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष/अभय कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर जोधपुर।
10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधपुर।

पुलिस उपायुक्त/
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
मुख्यालय एवं यातायात
जोधपुर

Dy Commissioner of Police
Headquarter & Traffic
Jodhpur